न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 39/2010

अपीलान्ट — **बनाम** — **रेस्पोडेन्ट :–**

अपीलान्ट:

1 स्व0 जेपाराम पुत्र गजाराम के का0मु0
1.1 मोहन पुत्र जेपाराम
1.2 लुम्बाराम पुत्र जेपाराम
1.3 खुमाराम पुत्र जेपाराम
2 मादाराम पुत्र गजाराम
3 सेसाराम पुत्र गजाराम
4 खीमा पुत्र गजाराम के का0मु0
4.1 मीठा पुत्र खीमाराम
4.2 श्रीमती शारदा पत्नी खीमाराम जातिगण मेणा निवासीगण तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर

रेस्पोडेन्ट:

1 जेसाराम पुत्र लच्छाराम
2 भंवरलाल पुत्र लच्छाराम
3 खांगाराम पुत्र लच्छाराम
4 बाबूलाल पुत्र लच्छाराम के का0मु0
4.1 देवाराम पुत्र बाबूलाल
4.2 भीखाराम पुत्र बाबूलाल
4.3 फूलाराम पुत्र बाबूलाल
4.4 प्रवीणकुमार पुत्र बाबूलाल
4.5 श्रीमती चम्पा बेवा बाबूलाल
5 संतोकाराम पुत्र लच्छाराम के का0मु
5.1 देशाराम पुत्र संतोकाराम
5.2 समाराम पुत्र संतोकाराम
5.3 पेमू पुत्री संतोकाराम
5.4 टीपू पुत्री संतोकाराम
5.5 श्रीमती नारायणी बेवा संतोकाराम
6 श्रीमती तगी पत्नी लच्छाराम
7 जाकाराम उर्फ लक्ष्मण पुत्र राजाराम
8 श्रीमती सुकी पत्नी राजाराम
9 श्रीमती शांति पुत्री जेपाराम
10 श्रीमती उकी पुत्री जेपाराम
11 श्रीमती लीला पुत्री जेपाराम
12 श्रीमती वाली पुत्री जेपाराम
13 इन्दा पुत्र लखाजी जातिगण मेणा निवासीगण तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

—: निर्णय :—

दिनांकः—23.10.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 15/2010 जेसाराम बनाम जेपाराम के का0मु0 वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.07.2010 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कथन किया कि ग्राम तखतगढ के पुराने खसरा नम्बर 468 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा की भूमि गजा पुत्र खाना मेणा की खातेदारी भूमि थी एवं खसरा नम्बर 493 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा की भूमि जीता पुत्र खाना मेणा की खातेदारी भूमि थी। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज अनपढ थे एवं संयुक्त परिवार में रहते थे, इस कारण परिवार के एक सदस्य के नाम भूमि दर्ज करवाई, जबकि कब्जा सभी भाईयों का संयुक्त रूप से है एवं आज से 45 वर्ष पूर्व मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त है। उस अनुसार रेस्पोडेन्ट्स का इस भूमि में 1/3हिस्सा एवं अपीलाण्ट का 2/3 हिस्से पर कब्जा काश्त होना बताते हुए जैर अपील विवादित आराजी खसरा नम्बर 467 के हाल खसरा नम्बर 775 रकबा 0.50 हैक्टेयर की भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये सम्मन तलब करने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसमें स्पष्ट कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स किसी भी रूप में एक परिवार से सम्बन्ध नहीं रखते है एवं न ही उक्त भूमि संयुक्त परिवार की भूमि रही है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का कब्जा होने के कारण खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। इस कारण जमाबन्दी सम्वत् 2011 से ही उक्त भूमि अपीलाण्ट के पूर्वजों के नाम ही दर्ज रही है। जिस पर वर्तमान में अपीलाण्ट बतौर खातेदार काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट के पास एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं है, जो यह साबित करता हो कि जैर अपील विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट का 1/3 हिस्सा हो। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के संयुक्त खातेदारी भूमि माना है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

एक भी बिन्दु रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञ जारी करने के तीनों आज्ञापक बिन्दुओं का विवेचन ही नहीं किया है एवं विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है, जो आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही पूर्वजों के वंशज है, जो खाना जी थे। खानाजी के चार पुत्र थे, जो गजाराम अपीलाण्ट संख्या 1 से 4 के पिता थे, दूसरे जीवाराम थे, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के दादा थे, तीसरे पुत्र कूपाराम थे, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के पूर्वज थे तथा चौथे पुत्र लखाराम थे, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 13 के पिता थे। जागीर पुर्नग्रहण के समय पुराने खसरा नम्बर 468 की भूमि अपीलाण्ट के पूर्वज गजाराम के नाम दर्ज हो गई एवं शेष भूमि जीवाराम के नाम दर्ज हो गई, जबकि उक्त भूमियों में खानाजी के चारों पुत्रों का समान हक अधिकार निहित था। इस पर चारों भाईयों ने सेटलमेन्ट के समय एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें खसरा नम्बर 493 की भूमि का विभाजन किया, चूंकि खसरा नम्बर 468 छोटा खसरा था, इसलिए इसका इन्द्राज उक्त प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट ने तो भूमि सभी भाईयों के नाम दर्ज करवा दी, किन्तु जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट के पूर्वज गजाराम के अकेले के नाम रही, जबकि रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि के 1/3 हिस्से पर काबिज है, मौके पर रेस्पोडेन्ट के झोंपडे बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत है। यदि उक्त आदेश को खारिज़ किया जाता है, तो रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील खारिज़ की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0बी0जे0 1995 पेज 476, आर0आर0डी0 1984 पेज 492, आर0आर0डी0 1987 पेज 426 तथा आर0बी0जे0 2000 पेज 483 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य रूप से विवाद खसरा नम्बर 468 को लेकर है। उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 775 बने है, जो राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट्स के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि जमाबन्दी संवत 2011 से ही गजा पुत्र खाना के नाम रही, जो कालान्तर में गजा के पश्चात उसके पुत्रों अर्थात अपीलाण्ट्स के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई, जो वर्तमान जमाबन्दी तक प्रविष्ठि बदस्तूर है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया तो रेकर्ड के आधार पर उक्त प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में प्रबल है। इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों आज्ञापक बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति का पृथक पृथक विवेचन किए बिना विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा मानते हुए अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का आधार यह लिया गया है कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिस पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त नहीं होकर अपीलाण्ट काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि किसी भी रूप में रेस्पोडेन्ट् की पुश्तैनी नहीं है। यह निर्विवादित तथ्य है कि उक्त दोनों ही बिन्दुओं का विनिश्चय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित किये जाने पर होगा, किन्तु इस दौरान मौके एवं राजस्व रेकर्ड में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले विवाद को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये मूल वाद के निर्णय तक अपीलाण्ट को जरिये स्थगन आदेश के पाबन्द किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 15/2010 जेसाराम बनाम जेपाराम के का0मु0 वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.07.2010 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली